कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3754 /मी0क्षे0/33दिनांक,मीरजापुर,फरवरी 25, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 है0 वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक– 01.04.2022 से दिनांक– 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।
(ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/140402/2021)

संदर्भः– आपका पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उल्लिखत कमियॉ/अभिलेखो के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या –2528/रेनुकूट/15–26 दिनांक 14.02.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियॉ/अभिलेखो के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियो में संस्तुति सहित निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–06.01.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाईन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है जिसमें पुनः बौने(औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नही है । इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में संलग्न किया गया क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का नहीं है। अतः पठनीय व पूर्ण साइज का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइनल भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट पठनीय व पूर्ण साइज का प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत क्षेत्र को गजट नोटिफिकेशन में चिन्हित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि गलत फीड है। अतः सही धनराशि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में फीड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि को ऑन लाईन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में फीड करा दिया गया है ।
6	तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित पेनड्राइव प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।

	अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे पेन ड्राइव से डिलिट कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतद्सह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3754, अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को पत्र संख्या –2528/रेनुकूट/15–26 दिनांक 14.02.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

OLC